

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर रथल-मूठली
राजस्व आवेदन संख्या :-189/2025

प्रार्थी:-

मेहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी मूठली तहसील
सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. शाखा प्रबंधक एस.वी.आई बैंक शाखा इन्द्राणा तहसील सिवाना
जिला बालोतरा
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला
बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत:-श्री ललित जांगीड
प्रार्थी वकील

--: आदेश ::-

दिनांक :-03.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 35 रकवा 02.4287 हैक्टियर ग्राम मूठली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात-यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस में उनका वास्तविक नाम मेहरसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम मेहरसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक-ग्रा.से.शि./2025/05 दिनांक 03.10.2025 को प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि प्रस्तुत किये।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसका वास्तविक नाम मेहरसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम महेन्द्रसिंह लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजात में उनका नाम मेहरसिंह दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मेहरसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मूठली तहसील सिवाना की खसरा संख्या 35 रकबा 02.4287 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'महेन्द्रसिंह' के स्थान पर 'मेहरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.10.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल मूठली में सरे आम सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
ज्येष्ठ अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)